न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज

वाद सं० १०७/१३

६/६/१६

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र दिनांकित ६/६/१६ पर सुना ।

प्रार्थी/ अभियुक्तगण राजेश कुमार द्वारा आज दिनांक ६/६/१६ को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त परिवाद मे समनिग आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद के समक्ष रिट याचिका सं० १७५५७/१६ प्रदीप कुमार उर्फ गुडडू एवं अन्य बनाम स्टेट आफ उ०प्र० एवं अन्य के बिरूद्व अर्न्तगत धारा ४८२ द०प्र०स० के तहत दाखिल किया गया । उक्त याचिका मे माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद द्वारा दिनांक २७/५/१६ को यह आदेश पारित किया गया कि विपक्षी सं० ४ प्रदीप कुमार एवं विपक्षी सं० ५ रीना देवी के पक्ष मे जारी अपराधिक कार्यवाही को स्थगित करने से इनकार किया गया । मननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिवाद सं० १०७/१३ के विपक्षी सं०१ ब्रजेश कुमार बिपक्षी सं० २ राजेश कुमार तथा विपक्षी सं० ३ शीला देवी के बिरूद्व जारी प्रोसिस /कार्यवाही को अगली लिस्टिंग की तिथि तक स्थगित किया गया है। प्रार्थी राजेश कुमार द्वारा पूर्व मे जारी जमानती वारण्ट को निरस्त करने के साथ-साथ उक्त आशय की सूचना सम्बन्धित थाने को भिजबाने की याचना किया हैं।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की मूलप्रति जारी दिनांकित १/६/१६ का अबलोकन किया ।प्रार्थी द्वारा याचित तथ्य मे सत्यता पायी जाती हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिवाद सं० १०७/१३ के बिपक्षी सं० १ लगायत ३ के बिरूद्व जारी कार्यवाही स्थगित किया गया हैं। तथा बिपक्षी सं० ४व ५ के सम्बन्ध मे याचित स्थगन प्रार्थना पत्र को इन्कार कर दिया गया हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित २७/५/१६ के अनुपालन मे बिपक्षी सं० १ लगायत ३ क्रमशः ब्रजेश कुमार ,राजेश कुमार व शीला देवी के बिरूद्व जारी प्रोसिंस/ कार्यवाही को स्थगित किया जाता हैं। तथा बिपक्षीसं० ४व ५ क्रमशः प्रदीप कुमार व रीना देबी के बिरूद्व जारी प्रोसिस पूर्व की भाति अमल मे लाया जाता रहेगा बिपक्षी सं० १ लगायत ३ के बिरूद्व पूर्व प्रोसिस थाने से वापस मगाये जाते हैं। प्रार्थना पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता हैं। बिपक्षी सं० ४व ५ जरिये बी-०डब्लू०नियत दिनांक को पेश हो।

जे०एम०कायमगंज